

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2024 (अपील)

उनवान

1. चन्द्रशेखर आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बांरा
2. सुरेश चन्द्र आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जी जाति ब्राहमण मृतक जरिये कायम मुकामान:-
 - 2/1. ललित शर्मा आत्मज स्व0 श्री सुरेशचन्द्र जी
 - 2/2 .सत्यनारायण आत्मज स्व. श्री सुरेशचन्द्र जी जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बांरा
 - 2/3 . श्रीमति अनिता पुत्री स्व श्री सुरेशचन्द्र जी धर्मपत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद जी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 12 सी/2 बी, 5 स्ट्रीट कामराज नगर इन्नौर कटिवक्म थर्मल स्टेशन ,तिरुवेलूर (तामिलनाडू)
 - 2/4. श्रीमति बृजेश पुत्री स्व0 श्री सुरेशचन्द्र जी धर्मपत्नी स्व0 श्री नन्दकिशोर जी शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 1-न्यू कार स्ट्रीट पोन्नेरी ,तिरुवेलूर (तामिलनाडू)
 - 2/5. श्रीमति डिम्पल शर्मा पुत्री स्व0 श्री सुरेश चन्द्र जी धर्मपत्नी स्व0 श्री हरीश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 19-सी एम0जी0आर0

(अपीलाण्ट)

बनाम.


सरकार जयें तहसीलदार, पीपल्दा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

- उपरिथत :- 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. परोकार सरकार (राजकीय परोकार रेस्पोडेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 5 दी
राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट 1954 बनाराजगी आदेश दिनांक 31.12.2018मि0नं0
241/18 न्यायालय तहसीलदार, पीपल्दा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 20.09.2024


अति. जिला कलेक्टर
कोटा

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित हुए।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को ग्राम श्रीपुरा तहसील पीपल्दा की ख0न0 162 की 0.45 हेक्टर भूमि को सरकारी भूमि होना मानकर इस भूमि पर श्री सुरेशचन्द्र एवं अपीलाण्ट चन्द्रशेखर को अतिक्रमी होना मानकर बेदखल करने एवं 337 रुपये तावान वसूल करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि अपीलाण्ट एवं स्व0 श्री सुरेशचन्द्र जी ग्राम श्रीनाल तहसील मांगरोल जिला बांरा में रहते हैं। अपीलाण्ट के ग्राम श्रीनाल में इस प्रकरण के बाबत सूचना देने कोई राजकीय कर्मचारी नहीं आया और न किसी अन्य प्रकार से अपीलाण्ट अथवा श्री सुरेशचन्द्र जी को इस प्रकार के बाबत कोई जानकारी हुई। अपीलाण्ट के परिवार की सीलिंग सीमा का निर्धारण करते हुये उपखण्ड अधिकारी कोटा ने दिनांक 28.05.1987 को फैसला करते हुये अपीलाण्ट की 11.41 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण करने का आदेश प्रदान किया था। जिसकी पालना में अपीलाण्ट के खाते की ग्राम श्रीपुरा की ख0न0 135/232 की 0.80 है0 ख0न0 136 की 2.43 है0 ख0न0 162 की 0.45 है0 कुल 3.67 है0 भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गयी थी। किन्तु भूमि पर कब्जा अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश होने से खातेदारान का ही रहा है। उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.05.1987 के विरुद्ध खातेदारान ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की थी जिसका अपील न0 376/87 था। उक्त अपील दिनांक 11.11.1987 को खारिज कर दी थी। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 11.11.1987 के विरुद्ध खातेदारान ने न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में निगरानी पेश की थी। इस प्रकरण का दिनांक 5.2.1993 को राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय पारित करते हुये आदेश दिया कि पूर्व में अधिग्रहित भूमि को तथा मन्दिर की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि को कम कर प्रकरण को पुनः निर्णित किया जावे। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा को रिमाण्ड किया। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26.12.1996 के विरुद्ध उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका पेश की जिस पर दिनांक 13.12.2006 को आदेश दिया कि उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष जहां पर कि प्रकरण की पुनः सुनवाई होनी है, प्राथीगण वह सभी तर्क प्रस्तुत करने को स्वतंत्र होंगे। कानूनी रूप से उनके द्वारा किये जा सकते हैं तर्कों का दायरा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जो ऑब्जरवेशन दिये गये हैं उन तक ही सीमित नहीं रहेगा। उपखण्ड अधिकारी इटावा की नई अदालत कायम होने से उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी इटावा के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी इटावा ने उक्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर दिनांक 17.07.2013 को निर्णय पारित करते हुये खातेदारान के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर कार्यवाही झोप करने का आदेश प्रदान करते हुये पूर्व निर्णय दिनांक 28.05.1987 की पालना में अधिग्रहण की गयी भूमि वापस खातेदारान को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा से सीलिंग प्रकरण का दिनांक 17.07.2013 को निर्णय होने के उपरान्त तहसील द्वारा नामा0 स0 138 ग्राम श्रीपुरा दिनांक 27.10.2015 को तस्दीक कर पूर्व में अधिग्रहित की गई भूमि में से ख0न0 135/232 की 0.80 है0 तथा ख0न0 136 की 2.43 हेक्टर भूमि तो खातेदारान के खाते दर्ज कर दी गई किन्तु



अति. जिला कलेक्टर
कोटा

ख0न0 162 की 0.45 है0 भूमि बदस्तूर सरकारी खाते दर्ज रही जबकि यह भी वापस खातेदारान के खाते दर्ज होना चाहिये थी। खातेदारान की कोई भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण योग्य नहीं होने के कारण राजस्व अधिकारियों को न्यायालय एस0डी0ओ0 इटावा के निर्णय दिनांक 17.07.2013 की पालना में ख0न0 162 की 0.45 है0 भूमि भी खातेदारान के खाते दर्ज करना चाहिये था। यह भूमि अपीलाण्ट की स्वयं की भूमि है। श्री सुरेशचन्द्र जी का दिनांक 17.01.2020 को देहावसान हो गया है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संख्या में 609 दिनांक 27.9.2020 को निर्णय पारित किया है इसके फसल नीलामी की कार्यवाही में श्री सुरेशचन्द्र जी के हस्ताक्षर हो रहे हैं तथा पत्रावली सं0 1946/2021 में भी सुरेशचन्द्र जी का उपस्थित होना बताया है। तथा फसल नीलामी की कार्यवाही पर भी श्री सुरेश चन्द्र जी के हस्ताक्षर हो रहे हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि यह समस्त कार्यवाहियां कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये की गयी है तथा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया। पत्रावली सं0 241/18 फैसला 31.12.2018 एवं पत्रावली सं0 1149/19 में भी श्री सुरेशचन्द्र एवं अपीलाण्ट के फर्जी दस्तख्त कर कार्यवाही की गयी है। श्री सुरेशचन्द्र जी एवं अपीलाण्ट कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और इन्होंने कभी भी फसल नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। पत्रावली सं0 65/21 तारीख फैसला 13.01.2022 एवं पत्रावली सं0 883/22 तारीख फैसला दिनांक 30.11.2022 में अपीलाण्ट चन्द्रशेखर के फर्जी हाजरी बतायी है तथा पत्रावली सं0 883/22 तारीख फैसल दिनांक 30.11.2022 में फसल नीलामी की कार्यवाही में चन्द्रशेखर के फर्जी हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।



5. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1. 2003 (4) आर0एल0डब्ल्यू (एस0सी) पेज 509, 2. 2005 (1) आर0एल0डब्ल्यू (राज0) पेज 131, 3. 2007 (1) सी0डी0आर0 (एस0सी) पेज 1 4.2006 डी0एन0जे0 (एस0सी) पेज 934 5. 1994 आर0आर0डी पेज 501 6.1990 आर0आर0डी (4.बी) पेज 355 पेज 7. 1992 आर0आर0डी पेज 173 8. 1992 आर0आर0डी पेज 117 9. 1992 आर0आर0डी पेज 17 10. 1986 आर0आर0डी पेज 544 11 2017 (2) आर0आर0टी0 (एस0सी) पेज 1047 प्रस्तुत किये गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

6 रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग में अधिग्रहित आराजी है, जो वर्तमान में राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज होने से अपीलाण्ट अप्रार्थी का उस पर अतिक्रमण है। विवादित भूमि वर्तमान में राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

7 उभयपक्षों की बहस का मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट का अवलोकन करने पर पाया कि आर्डरशीट पूर्व से टंकित होकर ग्राम, दिनांक, अतिक्रमी का नाम, खसरा नम्बर एवं रकबा आदि के खाली स्थान (---) छोड़ते हुए पूर्व से ही टंकित की हुई है। किसी भी अतिक्रमी को अतिक्रमी साबित करने के लिए पूर्व में उसका उसी भूमि पर से कब्जा हटाने की फर्द एवं उससे संबंधित घटना बही की प्रति संलग्न की जानी चाहिए, किन्तु पीठासीन अधिकारी ने ऐसा नहीं कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। इन सब से यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, मात्र खानापूर्ति की है। न्यायालय एस0डी0ओ0 इटावा के निर्णय दिनांक 17.07.2013 के निर्णय की पालना के संबंध में जांच की जानी थी जो नहीं की गई। समस्त कार्यवाहियां कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये की गयी है। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्टान का प्रथमतः यह कथन रहा है कि "योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टान अप्रार्थीगण के विरुद्ध बिना सूचना दिये, बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एकतरफा निर्णय पारित किया है" अधीनस्थ न्यायालय

अति. न्यायाधीश
कोटा


की पत्रावली अनुसार अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी होना प्रतीत नहीं हो रहा है। तथा अप्रार्थी की विधिवत तामील होना जाहिर नहीं हो रहा है। जिसके अनुसार योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि-सम्मत नहीं पाते हुये अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय दिनांक 31.12.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्टान अप्रार्थीगण को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत रूप से पूर्ण विवेचना के साथ पुनः निर्णय पारित करें। तथा प्रभारी अधिकारी भू0अ0 कोटा को फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



मुद्रा


(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा